कार्यालय–प्रभागीय वनाधिकारी, कालसी भूमि संरक्षण वन प्रभाग, कालसी।

पत्रांक– 645 /12–1, दिनांक, कालसी, 04/09/2025

सेवा में,

वन संरक्षक,
शिवालिक वृत्त, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

विषय : **जनपद–देहरादून के विधानसभा क्षेत्र विकासनगर के अन्तर्गत भलेर–काण्डोई–मदर्सू मोटर मार्ग के नवनिर्माण हेतु 1.61 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन (online no. FP/UK/ROAD/126434/2021)**

सन्दर्भ : भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के पत्रांक–8बी / यू0सी0पी0 / 06 / 126 / 2021 / एफ0सी0 / 1454, दिनांक 30.01.2023 एवं अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, देहरादून का पत्रांक–2266 / 25 सी, दिनांक 06.06.2025.

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि प्रस्ताव संख्या–FP/UK/ROAD/126434/2021 में भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून द्वारा लगाई गई आपत्ति का निराकरण प्रस्तावक विभाग द्वारा निम्न प्रकार किया गया है–

क्र.सं.	आपत्ति	आपत्ति के निराकरण हेतु की जा रही कार्यवाही
1	In reply to point no. 1, it is observed that CA area has now been changed. As per DSS analysis of the CA area, complete area found in MDF. Further, it is observed that the area is steep and prone to landslide hence does not seems to be suitable for plantation. State Government is requested to submit revised CA area after carrying out inspection by the DFO to avoid any further delay in the proposal.	भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु, परिवर्तन मंत्रालय द्वारा बिन्दु संख्या–1 में लगाई आपत्ति के अनुपालन में प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि हस्तान्तरित होने वाली वन भूमि के बदले वन भूमि हस्तान्तरण हेतु अन्य क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल चयन / उपलब्ध कराने हेतु जिलाधिकारी, देहरादून के कार्यालय से माह अप्रैल 2023 से कई बार पत्राचार किया गया। अन्ततः उपजिलाधिकारी, चकराता कार्यालय के पत्रांक–568 / र0का0 / 2024, दिनांक 21.06.2024 द्वारा ग्राम गुठाड रवत बौन्दूर तहसील–चकराता के खसरा संख्या–784 क्षेत्रफल 3.529 है0 में से सी0ए0 लैड हेतु वांछित क्षेत्रफल 1.61 X 2 = 3.22 है0 चयनित कर प्रस्ताव खण्ड को उपलब्ध कराया गया, दिनांक 20.07.2024 में सी0ए0 लैंड हेतु अन्य चयनित क्षेत्र वन विभाग, राज्य विभाग, लो0नि0वि0 के प्रतिनिधियों द्वारा स्थलीय निरीक्षण किया गया, परन्तु मौके पर चयनित स्थल सी0ए0 लैंड हेतु उपयुक्त नहीं था। पुनः ग्राम–गुठाड में ही ग्रामवासियों की सहमति पर खसरा संख्या–2007 क्षेत्रफल 68.86 है0 में से 3.22 है0 भूमि सी0ए0 लैंड हेतु चयनित की गई। सी0ए0 लैंड हेतु चयनित स्थल के टोपे सीट मैप एवं जियो रिफ्रेन्सड मैप उपलब्ध कराने हेतु इस कार्यलय के पत्रांक–3452 / 26सी0 दिनांक 29.08.2024 द्वारा मुख्य वन संरक्षक, आई0टी0 सैल कार्यालय, देहरादून को लिखा गया है, जिसके क्रम में वांछित मानचित्र प्राप्त कर सी0ए0 लैंड सम्बन्धित समस्त औपचारिकतायें पूर्ण कर फॉरेस्ट पोर्टल पर ऑनलाईन अपलोड कर दिये गये हैं।
2	In reply to point no. 2, detailed justification is still not found uploaded. The road is proposed on the edge of mountain. Possibilities of rolling down of muck seems unavoidable. Further the area seems connected from forest road or LVR. A detailed justification for the construction of the road is required to be submitted.	बिन्दु संख्या–2 के अनुपालन में प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि वन भूमि में मार्ग निर्माण के सम्बन्ध में विस्तृत औचित्य संलग्न कर पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है। इस मार्ग का संरेखण ग्राम भलेर के अन्तर्गत आने वाले समस्त मजरे (तोक / उप गांव) को अधिक से अधिक सयोजन व लाभान्वित हो सके को दृष्टिगत रखते हुए किया गया है। ढाल वाले स्थानों पर मार्ग निर्माण करते समय उत्सर्जित होने वाले मलवे के निस्तारण हेतु डम्पिंग स्थल चिन्हित किये गये है, जो मलवा निस्तारण हेतु वांछित मानचित्र में दर्शाये गये हैं। उक्त सभी ग्राम किसी एल0वी0आर0 के नहीं है। मार्ग का आरम्भिक बिन्दु मदर्सू को जोड़ने वाले मुख्य मार्ग के एच0पी0 बैंड से आरम्भ होता है, मार्ग निर्माण से पर्यावरण के किसी भी प्रकार की क्षति नहीं होगी। अतः दूरस्थ स्थानों पर बसे ग्राम भलेर व उसके मजरों / तोकों को जनहित में मार्ग निर्माण कर यातायात की सुविधा प्रदान की जा सकेगी।

Survey325
Raju

	आपत्ति	आपत्ति के निराकरण हेतु की जा रही कार्यवाही
	In reply to point no. 5, it is requested to upload the details of 37 trees falling in the 7 meter width which are actually required to be felled.	उक्त बिन्दु के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि इस वन प्रभाग द्वारा आरक्षित वन क्षेत्र में प्रभावित होने वाले वृक्षों का विवरण ऑनलाईन अपलोड किया गया है। प्रस्ताव के प्रारूप–21 में तीन कक्षों (उ0विन्हार–1बी में 20 वृक्ष, उ0विन्हार–2 में 26 वृक्ष एवं उ0विन्हार–3 में 37 में कुल 83 वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं तथा इसके अतिरिक्त उक्त क्षेत्रों में 0–10 व्यास वर्ग के 15 वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं। इस प्रकार कुल 98 वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं।
4	In reply to point no. 6, clarification about road side plantation is still not provided. which is required to be submiued.	उक्त प्रस्ताव में पथ वृक्षारोपण कार्य नहीं किया जायेगा। प्रस्ताव के सापेक्ष 3.22 है0 क्षेत्र में क्षतिपूरक वनीकरण कार्य किया जाना प्रस्तावित है, जिसकी क्षतिपूरक वनीकरण का प्रस्ताव ऑनलाईन अपलोड कर दिया गया है।
5	The population of village 'Bhaler' is in formed as 713 whereas. as per Google Earlh image, only a few houses are visible. Either the population figure is not correct or the location of the village is marked wrongly. As per the present location, the requirement of the proposed road does not seem to be justified. State Govemment is requested to review the same and submit correct information or justification of the proposed road.	उक्त बिन्दु के सम्बन्ध में प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि ग्राम सभा भलेर के अन्तर्गत लाभान्वित होने वाले मजरे (उप गांव) काण्डोई नकोड़, फारसीला, भदोगी, उदियाखेत, भायला, टापर डूंगा की जनसंख्या का प्रस्ताव में उल्लेख किया गया है, बिन्हार क्षेत्र में वर्ष 1938 से बन्दोबस्त न होने से सभी मजरे राजस्व ग्राम घोषित नहीं हुये हैं, इन सभी मजरे अत्यन्त दुर्गम क्षेत्र में हैं। जहां पर यातायात की कोई सुविधा नहीं है। यातायात न होने से पलायन का खतरा बना हुआ है। अतः मार्गों के संयोजन हेतु जनहित में इस मार्ग का निर्माण किया जाना अत्यन्त आवश्यक है।

अतः अनुरोध है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून द्वारा लगाई गई आपत्ति का निराकरण कर आख्या इस अनुरोध के साथ प्रेषित की जा रही है कि उक्त आख्या को प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी वन संरक्षण, इन्दिरानगर, देहरादून को प्रेषित करने का कष्ट करें।

<u>संलग्नक : यथोपरि।</u>

भवदीय,

प्रभागीय वनाधिकारी,
कालसी भू0सं0 वनप्रभाग,
कालसी।

प्रतिलिपि : प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी वन संरक्षण, इन्दिरानगर, देहरादून को उनके सन्दर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, देहरादून को उनके सन्दर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

प्रभागीय वनाधिकारी,
कालसी भू0सं0 वनप्रभाग,
कालसी।

Survey326
Raiu

Phone :-0135-2729863

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, देहरादून

Office of the Executive Engineer, Construction Division, P.W.D., Dehradun, Uttarakhand

Website-http://pwd.uk.gov.in E-mail: eecdpwdddn@rediffmail.com

पत्रांक 2288 / 25 सा०

दिनांक 16 / 06 / 2025

सेवा में, 2266

प्रभागीय वनाधिकारी,
कालसी भूमि संरक्षण वन प्रभाग,
कालसी।

कालसी भूमि सरक्षण वन प्रभाग, कालसी
रजिस्टर सं0 19384
फाइल सं0 12-1
दिनांक 30/06/2025

विषय – **जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र विकासनगर के अन्तर्गत भलेर–कण्डोई–मदर्सू मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 1.61 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन। (Online प्रस्ताव सं0 FP/UK/Road/126434/2021)**

सन्दर्भ– भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून कार्यालय का पत्रांक 8बी0/UCP/06/126/2021/FC/1454 दिनांक 30.01.2023

महोदय,

उपरोक्त विषयक भारत सरकार की सन्दर्भित पत्र का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे। पत्र द्वारा विषयक वन भूमि प्रकरण के सम्बन्ध में 5 बिन्दुओं पर सूचना आख्या मांगते हुये निराकरण करने हेतु लिखा गया है उपरोक्त के अनुपालन में बिन्दुवार सूचना/निराकरण निम्न प्रकार प्रेषित है:–

आपत्ति संख्या	आपत्ति	आपत्ति के निराकरण हेतु की जा रही कार्यवाही
1	In reply to point no. I, it is observed that CA area has now been changed. As per DSS analysis of the CA area, complete area found in MDF. Further, it is observed that the area is steep and prone to landslide hence does not seems to be suitable for plantation. State Government is requested to submit revised CA area after carrying out inspection by the DFO to avoid any further delay in the proposal.	भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा बिन्दु सं0 1 में लगाई आपत्ति के अनुपालन में अवगत करना है कि हस्तान्तरित होने वाली वन भूमि के बदले वन भूमि हस्तान्तरण हेतु अन्य क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल चयन/उपलब्ध कराने हेतु जिलाधिकारी देहरादून कार्यालय से माह अप्रैल 2023 से कई बार पत्राचार किया गया। अन्ततः उपजिलाधिकारी चकराता कार्यालय के पत्रांक 568/र0का0/2024 दिनांक 21.06.2024 द्वारा ग्राम गुठाड रवत बौन्दूर तहसील चकराता के खसरा नं0 784 क्षे0 3.529 है0 में से सी0ए0 लैड हेतु वांछित क्षेत्रफल 1.61X2 = 3.220 है0 चयनित कर प्रस्ताव खण्ड के उपलब्ध कराया गया, दिनांक 20.07.2024 में सी0ए0 लैड हु अन्य चयनित क्षेत्र का वन विभाग, राज्य विभाग व लो0नि0वि0 के प्रतिनिधियों द्वारा स्थलीय निरीक्षण किया गया, परन्तु मौके पर चयनित स्थल सी0ए0 लैड हेतु उपयुक्त नही था। पुनः ग्राम गुठाड में ही ग्रामवासियों की सहमति पर खसरा नं0 2007 क्षे0 68.660 है0 में से 3.220 है0 भूमि सी0ए0 लैड हेतु चयनित की गई है। सी0ए0 लैड हेतु चयनित स्थल के टोपो सीट मैप एवं जियो रिफ्रेन्सड मैप उपलब्ध कराने हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 3452/26सी0 दिनांक 29.08.2024 द्वारा मुख्य वन संरक्षक, आई0टी0 सेल कार्यालय देहरादून को लिखा गया है, जिसके क्रम में वांछित मानचित्र प्राप्त कर सी0ए0 लैड सम्बन्धी समस्त औपचारिक्ताये पूर्ण कर फोरेस्ट पोर्टल पर ऑन लाईन अपलोड कर दिये गये है।

D/man

D.F.O.
30/6/2025

क्रमशः 2

2	In reply to point no. 2, detailed justification is still not found uploaded. The road is proposed on the edge of mountain. Possibilities of rolling down of muck seems unavoidable. further the area seems connected from forest road or LVR. A detailed justification for the construction ofthe road is required to be submitted	बिन्दु सं0 2 के अनुपालन में अवगत कराना है कि वन भूमि में मार्ग निर्माण के सम्बन्ध में विस्तृत औचित्य संलग्न कर पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है। इस मार्ग का सम्रेखण ग्राम भलेर के अन्तर्गत आने वाले समस्त मजरे (तोक/उप गांव) को अधिक से अधिक संयोजन व समायोजित हो सके को दृष्टगत रखते हुये किया गया है। ढाल वाले स्थानों पर मार्ग निर्माण करते समय उत्सर्जित होने मलबे के निस्तारण हेतु डम्पिंग स्थल चिन्हित किये गये है जो मलबा निस्तारण हेतु वांछित मानचित्र में दर्शाये गये है। उक्त सभी ग्राम किसी एल0वी0आर0 से नही है। मार्ग का आरम्भिक बिन्दु भदलू को जोड़ने वाले मुख्य मार्ग के एन0वि0 बैंड से आरम्भ होता है, मार्ग निर्माण से पर्यावरण के किसी भी प्रकार की क्षति नही होगी। अतः दूरस्थ स्थानों पर बसे ग्राम सभा भलेर व उसके मजरों/तोकों को जनहित में मार्ग निर्माण कर यातायात की सुविधा प्रदान की जा सकेगी।
3	In reply to point no. 5, it is requested to upload the details of 37 trees falling in the Tmeter width which are actually required to be felled.	उक्त बिन्दु के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि मार्ग निर्माण से आरक्षित वन भूमि में प्रभावित होने वाले 37 वृक्षों का विवरण पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है।
4	In reply to point no. 6, clarification about road side plantation is still not provided. which is required to be submitted	वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में प्रमुख वन संरक्षक उत्तराखण्ड द्वारा जारी किये गये मानको के अनुसार पथ वृक्षारोपण योजना संलग्न की गई है। पुनः अवलोकन हेतु पोर्टल पर अपलोड की जा रही है।
5	The population of village 'Bhaler' is informed as 713 whereas. as per Google Earth image, only a few houses are visible. Either the population figure is not correct or the location ofthe village is marked wrongly. As per the present location, the requirement of the proposed road does not seem to bejustified. State Government is requested to review the same and submit correct information or justification ofthe proposed road.	उक्त बिन्दु के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि ग्राम सभा भलेर के अन्तर्गत समायोजित होने वाले मजरे (उप गांव) काण्डोई नकोड, फारसीला, मदोगी, उदिया खेत मायला, टापर कुंगा की जनसंख्या का प्रस्ताव में उल्लेख किया गया है. बिन्हार क्षेत्र में वर्ष 1938 से बन्दोबस्त न होने से सभी मजरे राजस्व ग्राम घोषित नही हुये है, इन सभी मजरे अत्यन्त दुर्गम क्षेत्र में है। जहा पर यातायात की कोई सुविधा नही है यातायात न होने से पलायन का खतरा बना हुआ है। अतः मार्गो के संयोजन हेतु जनहित में इस मार्ग का निर्माण किया जाना अत्यन्त आवश्यक है।

अतः भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून की सन्दर्भित पत्र में दर्शाई गई आपत्तियों का निराकरण कर पोर्टल पर ऑन लाईन अपलोड करते हुये हार्ड कापी आपके कार्यालय को प्रेषित की जा रही है।

संलग्न– उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(इ0 प्रवीण कर्णवाल)
अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, देहरादून।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सन्दर्भित पत्र के अनुपालन में सूचनार्थ प्रेषित।

1– मा0 विधायक विकासनगर विधानसभा क्षेत्र, विधानसभा भवन उत्तराखण्ड देहरादून।
2– अपर प्रमुख वन संरक्षक, एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण, इन्दिरा नगर, फॉरेस्ट कालोनी, देहरादून।
3– जिलाधिकारी, देहरादून।
4– अधीक्षण अभियन्ता, नवम् वृत्त, लो0नि0वि0, देहरादून।
5– श्री हिमांशु नौटियाल सहायक अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, देहरादून।
6– खण्डीय अमीन, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, देहरादून।

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, देहरादून।